कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/सी–1/स्थानांतरण/अंग्रेजी/ 2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् क्रम संख्या 239 पर अंकित श्री जगदीश प्रसाद यादव व्याख्याता, अंग्रेजी राउमावि खोरालाडखानी जयपुर का स्थानांतरण राउमावि उन्हेल, नगेश्वर, डग, झालावाड़ किया गया।

श्रीं जगदीश प्रसाद यादव द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 798/2020 जगदीश प्रसाद यादव बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर दायर की गई। जिस पर माननीय अपील अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 03.09.2020 द्वारा आदेशित किया गया कि अपीलार्थीगण दिनांक 18.09.2020 तक विभाग के समक्ष प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह पूर्वोवत्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में 15 दिवस की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर सम्यक सूचना अपीलार्थीगण को दें।

माननीय अपील अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी जगदीश प्रसाद यादव द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर वर्तमान पदस्थापन गृह जिले से 500 किमी देर होने, पत्नि के थायराईड रोग से ग्रसित होने एव स्वय किडनी व पित्त की थैली रोग से पीड़ित होने संबधित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। उक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा पदस्थापित स्थान पर दिनांक 13.10.2019 को कार्यग्रहण कर लिये जाने के कारण इनकी मांग न्यायोचित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार सरकार व अन्य प्रकरण में पारित निर्णयानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र किये गए स्थानान्तरण आदेशों से किसी लोकसेवक के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होता। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/सी–1/अंग्रेजी/अपील सं.798/जगदीश प्रसाद यादव/2020 दिनांक : 29/10/2020

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :–

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य राउमावि उन्हेल, नगेश्वर, डग, झालावाड़
9. जगदीश प्रसाद यादव, व्याख्याता, अंग्रेजी, राउमावि उन्हेल, नगेश्वर, डग, झालावाड़
10. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त ~~निदेशक~~ (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

C-1 Court Case 15